न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी - 5008/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

तांतू तनय सुन्टा अहिरवार आयु 50 वर्ष
निवासी-डिकोली तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... पुर्नरीक्षणकर्ता

बनाम

घनश्याम तन गुनठोला मेहतर आयु 60 वर्ष
निवासी-ढिकोली चक.-1 तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... प्रतिपुर्नरीक्षणकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि० 14-8-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा -50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

महोदय,

प्रकरण क. 66/अ-12/2017-18 न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव के पारित निर्णय 30.06.18 रेव्यनू वर्ष 2017-18 आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2018 क.-08070पी.ओ.-8 ए.पी.पी./621 से व्यथित होकर समस्त श्रीमान के प्रस्तुत है- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1- यह कि भूमि स्थित ग्राम ढिकोली चक. 1 सर्वे क. 422 रकवा 1.121 हेक्टैयर के सीमांकन हेतु प्रतिपुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ागांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसका मौके पर सीमांकन किया गया जिससे संबंधित निम्न आधारों पर पुर्नरीक्षणकर्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

2- यह कि उक्त भूमि से लगी भूमि पुर्नरीक्षणकर्ता की भूमि हैं जिसे उक्त भूमि के सीमांकन के समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दावा आपत्ति सीमांकन से पूर्व अथवा सीमांकन के बाद नहीं दिया गया एवं जल्दी वाजी व प्रकिया के विपरीत सीमांकन किया गया जो विवाद का विषय है व मौके पर तनाव की गंभीर स्थीति के लिये उत्तरदायी है ।

3- यह कि पुर्नरीक्षणकर्ता के अलावा अन्य सरहदी कृषकों को 30 वर्ष से ज्यादा कब्जाधारी बताया एवं मकान बनाकर भूमि पर निवास बताया ऐसी स्थीति में कृषि योग्य भूमि के

क्रमशः-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5008/2018/टीकमगढ़/भू.रा. तांतू विरूद्ध घनश्याम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बडागांव के सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।. 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 28.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	